

खेल-कूद सामग्री क्रय करने हेतु क्रय समिति का गठन सत्र - 2023-24

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय प्रबन्ध समिति के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों के लिए खेल सामग्री क्रय किये जाने के सम्बन्ध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक - गु०वि०/स्पोर्ट्स अनुदान/4467/ 2023-24 दिनांक 6 मार्च 2024 द्वारा दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रेषित दिशा निर्देश के क्रम से खेल कूद सामग्री क्रय किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निम्नवत है-

1- विद्यालयवार खेल सामग्री के क्रय एवं सुझावात्मक सूची के अनुसार विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध खेल के मैदान के अनुसार ही उच्च-गुणवत्ता युक्त खेल सामग्री का क्रय किया जाये। भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 24 दिसम्बर 2018 के क्रम में खेलकूद समग्री के चयन में स्थानीय स्तर पर खेले जाने वाले पारम्परिक खेलों को भी समाहित किया जाये

2 - शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाईन 'खेले भी और खिले भी', तथा इसी में उक्त के क्रियान्वयन हेतु निर्गत यथा संसोधित शासनादेश संख्या -68-

5099/249/2023-5 बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक - 5 मार्च 2024 द्वारा खेलकूद अनुदान वर्ष 2023-24 के उपभोग के सम्बन्ध में विद्यालय स्तर पर क्रय समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं।

मीटिंग / बैठक कार्यवाही

आज दिनांक / / 2024 को वि० _____
जनपद _____ के प्रांगण में SMC सदस्यों व अभिभावकों की एक बैठक स्पोर्ट्स अनुदान के संबंध में आयोजित की गयी। विद्यालय में उपस्थित सभी सदस्यों व अभिभावकों के विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय - लिया गया कि विद्यालय में सामग्री क्रय करने सम्बन्धी 5 सदस्यीय समिति के गठन पर विचार किया गया। सभी ने सर्वसम्मति से उक्त स्पोर्ट्स अनुदान हेतु सामग्री चयन एवं 'क्रय' करने सम्बन्धी 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया जो निम्नवत है।

स्पोर्ट्स अनुदान वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत क्रय की जाने वाली खेलकूद सामग्री हेतु विद्यालय स्तर पर निम्नवत समिति गठन के निर्देश दिए गये हैं ।

क्रमांक	नाम	पद	नाम -
1	प्रधानाध्यपक	अध्यक्ष	
2	खेलकूद शिक्षक प्रभारी/शिक्षक /शिक्षिका	सदस्य /सचिव	
3	3अलग अलग विषय के शिक्षक (उपलब्धता के अनुसार) 1 महिला शिक्षक		

विद्यालय में सत्र 2023-24 में स्पोर्ट्स अनुदान के लिये _____ रु० को लिमिट खाते में प्राप्त हुई है जिसका उपयोग उच्च-गुणवत्ता युक्त खेल सामग्री का क्रय किया जाना है जिसका भुगतान फर्म /पर्सनल वेंडर _____ में करने की अनुमति प्रदान की जाती है गुणवत्ता की जांच परख के बाद समिति ने यह निर्णय लिया ।

प्रधानाध्यापक द्वारा खेल कूद प्रभारी शिक्षक के रूप में विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशक (स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अथवा बी पी एड योग्यता धारी सहायक अध्यापक को प्राथमिकता के आधार पर नामित किया जायेगा । विद्यालय में ऐसे शिक्षक कार्यरत न होने की स्थिति में खेल में रुचि रखने शिक्षक को खेलकूद प्रभारी शिक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक द्वारा नामित किया जायेगा

खेलकूद प्रभारी क्रय की गयी सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित करेगा ।

इसके साथ ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता/ पिता /अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर माह की अगली बैठक हेतु पुनः बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक कार्यवाही का समापन किया गया

विद्यालय प्रबन्ध समिति के अन्य सभी सदस्यों के हस्ताक्षर